<u>कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा।</u>

दिनांक 31.01.2025

पत्र संख्या 662/जिविसेप्रा/मध्यस्थ पैनल/2024–25

<u>सूचना/प्रेस विज्ञप्ति</u>

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या–60/मीडिऐशन/सर्वोडिनेट कोर्ट/इलाहाबाद/2021 दिनांकित 24.09.2024 के द्वारा प्रेषित की गयी सिविल प्रक्रिया (जिला न्यायालय) मध्यस्थता नियमावली–2021 के नियम 03 के पैरा 04 में अंकित निर्देश के अनुपालन में माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा के आदेश संख्या–06/2025 दिनांकित 10.01.2025 के अनुपालन में **<u>उत्तर प्रदेश सिविल प्रक्रिया मध्यस्थता नियमावली, 2021 के नियम सं0–03</u>** के तहत अर्ह व्यक्तियों का पैनल बनाया जाना प्रस्तावित है।

अतः दीवानी परिसर में गेट संख्या–04 के समीप स्थित ए0डी0आर0 सेन्टर भवन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा के अन्तर्गत संचालित मध्यस्थता केन्द्र पर मध्यस्थता का कार्य करने के लिये दिनांक 15.02.2025 तक **<u>उत्तर प्रदेश सिविल प्रक्रिया मध्यस्थता नियमावली, 2021 के नियम सं0–03 के तहत अनुसूची–1 में दिये गये प्रारूप पर सहमति</u>** आमंत्रितं की जाती है, जो वांछित अर्हता (क)–ऐसे अधिवक्ता, जिनके पास न्यायालय में कम से कम दस वर्ष का अनुभव हो) (ख)–सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, (ग)–ऐसे वृत्तिक/विशेषज्ञ जिनके पास अपने–अपने क्षेत्रों में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव हो और जो विधि के क्षेत्र में सुपरिचित हों। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर **मय स्व हस्ताक्षरित पासपोर्ट साइज फोटो, अनुभव प्रमाण पत्र एवं पंजीकरण प्रमाण पत्र दिनांक 15.02.2025 को अपरान्ह 05:00 बजें तक** कार्यालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा में आवश्यक रूप से दाखिल किये जायें अथवा बाद में प्राप्त होने वाले आवेदनपत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

31/1/25

चयन समिति
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
दीवानी कचहरी, आगरा

उक्त सूचना/प्रेस विज्ञप्ति की प्रति मय आवेदन प्रारूप में कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा के नोटिस बोर्ड एवं जनपद न्यायालय, आगरा की वेबसाइट पर व माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की वेबसाईट पर भी अपलोड की जायें तथा जिला सूचना अधिकारी, आगरा के माध्यम से जनपद आगरा के समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित करायी जायें।

31/1/25

[illegible]

(मध्यस्थ के रूप मे पैनल मे सम्मिलित किये जाने के लिए आवेदन)

1. नाम:
2. पिता का नाम:
3. पता:
   (क) कार्यालय:
   (ख) निवास:
4. दूरभाष संख्या:
   (क) कार्यालय:
   (ख) निवास:
5. मोबाइल संख्या:
   (क) कार्यालय:
   (ख) निवास:
6. ई-मेल आईडी:
7. शैक्षणिक अर्हताएं:
8. व्यावसायिक अर्हताएं और अनुभव:
9. तकनीकी अनुभव, यदि कोई हो:
10. मध्यस्थता में विशेष अर्हता या अनुभव, यदि कोई हो.
11. बार काउंसिल नामांकन संख्या और दिनांक:
    (केवल अधिवक्ताओं के लिए लागू)
12. क्या आपके विरूद्ध किसी न्यायालय में कोई आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया है?
13. क्या आपको किसी नैतिक अधमता से अन्तर्वलित अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किया गया है?
14. क्या आपको दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है या विकृतचित्त का होना घोषित किया गया है?
15. क्या आपके विरूद्ध अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा कोई अनुशासनिक कार्यवाहियां प्रारम्भ की गयी हैं, या क्या आपको ऐसी अनुशासनिक कार्यवाहियों में दण्डित किया गया है? :

मैं..... एतदद्वारा निवेदन करता हूँ कि मैं..... न्यायालय में मध्यस्थ के रूप में पैनल में रखे जाने हेतु इच्छुक हूँ और उत्तर प्रदेश सिविल प्रक्रिया (जिला न्यायालय) मध्यस्थता नियमावली, 2021 के नियम 3 के अधीन पैनल में रखे जाने के लिये अपनी सहमति देता हूँ । यह आश्वासन देता हूँ कि मध्यस्थ के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के दौरान उक्त नियमावली के नियम 22 में यथा विहित आचारों का अनुसरण करूंगा । मैं, भारत के उच्चतम न्यायालय की मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति द्वारा यथा विहित मध्यस्थ प्रशिक्षण ग्रहण करने का वचन भी देता हूँ । मैं घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त प्रस्तुत सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है ।

पूर्ण हस्ताक्षर:

दिनांक:

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।